दिनांक 22.02.2017 को निदेशक, अभियोजन, बिहार, पटना की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों से संबंधित विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही:–

<u>उपस्थिति</u>

I. श्री ईश्वर चन्द्र सिन्हा
संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक
अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना।

II. श्री ब्रजेश कुमार
सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना।

III. श्री राजीव कुमार
अवर सचिव –सह– अवर विधि परामर्शी
विधि विभाग, बिहार, पटना।

IV. श्री संजय कुमार
कल्याण पदाधिकारी
अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

V. श्री अनूप कुमार
सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना।

VI. श्री रविकान्त देव
सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना।

VII. श्री आलोक प्रसून
सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना।

VIII. सभी विशेष लोक अभियोजक
(सारण (छपरा)/ सिवान/ बेतिया (प0 चम्पारण)
/किशनगंज एवं बांका को छोड़कर)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों से संबंधित विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा बैठक का प्रारंभ **निदेशक, अभियोजन, बिहार, पटना** द्वारा किया गया एवं प्रारंभिक उद्‌बोधन में उनके द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिया गया :–

I. सर्वप्रथम **बांका एवं किशनगंज** जिले से जनवरी 2016 से अक्टूबर 2016 तक प्रतिवेदन नहीं भेजने एवं बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण संबंधित विशेष लोक अभियोजकों को हटाये जाने हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना को पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

II. बैठक में उपस्थित विशेष लोक अभियोजकों द्वारा बताया गया कि वैसे मामले जिनमें पास्को एक्ट एवं SC/ST Act दोनों लगा हो, का संचालन किस विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया जाय के संबध में स्थिति स्पष्ट नहीं रहने कारण अभियोजन संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो

10-03-17

रही है। निदेशक, अभियोजन द्वारा इस संबंध में विधि विभाग को उचित मार्गदर्शन हेतु पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

III. बैठक में उपस्थित विशेष लोक अभियोजकों द्वारा बताया गया कि कुछ जिलों में अभी भी पुरानी व्यवस्था के तहत् न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित मामलों में संज्ञान लिया जाता है। संज्ञान में विलंब के कारण समय पर वाद निष्पादन में कठिनाई होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में संशोधन के अनुसार विशेष न्यायालय, (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम) के द्वारा संज्ञान लिया जाना है। इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सभी जिला पदाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए सभी आयुक्त, बिहार को प्रतिलिपि देने का निदेश दिया गया।

IV. बैठक में उपस्थित सभी विशेष लोक अभियोजकों द्वारा बताया गया कि गवाह को गवाही के दिन गवाह खर्च नहीं मिलता है तथा गवाह खर्च के लिए उन्हें बार–बार आना पड़ता है। इसके निदान हेतु सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को गवाहों को गवाही के दिन ही गवाह खर्च भुगतान करने की नयी व्यवस्था शुरू किये जाने हेतु पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

V. बैठक में उपस्थित विशेष लोक अभियोजकों द्वारा बताया गया कि बैठक में आने जाने के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं हो पाता है। साथ ही, यह भी बताया गया कि उनके पारिश्रमिक से संबंधित विपत्रों का भी भुगतान वर्षों से लंबित है। आवंटन एवं भुगतान की समस्या के निदान हेतु विधि विभाग एंवं सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया, ताकि इनके लंबित विपत्रों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके।

2. **संयुक्त सचिव सह संयुक्त निदेशक, अभियोजन बिहार, पटना** द्वारा समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी विशेष लोक अभियोजकों का स्वागत करते हुए SC/ST Act के तहत् दर्ज मामलों में गुणवत्तापूर्ण अभियोजन कार्य संचालित करने एवं पीड़ितों को न्याय एवं सुरक्षा दिलाने पर बल दिया गया। काण्डों के त्वरित निष्पादन गवाहों की उपस्थिति एवं सजा की संख्या में वृद्धि लाये जाने हेतु सभी प्रयास किये जाने के साथ साथ मासिक प्रतिवेदन ससमय प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निदेशालय में प्राप्त कराये जाने का निदेश दिया गया।

3. **श्री ब्रजेश कुमार, सहायक निदेशक अभियोजन, बिहार, पटना** द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विशेष लोक अभियोजकों का स्वागत करते हुए बताया गया कि इस बैठक का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा, न्याय एवं पुर्नवास हेतु विधिक सहायता प्रदान किया जाना है। इन वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा संशोधित नियम, 2016 के आलोक में पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य संपादित करना आवश्यक है। इसके लिए समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में सजा की दर (Rate of conviction) बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके लिए महत्वपूर्ण वादों को संशोधित अधिनियम की धारा 14 (3) के अन्तर्गत दिन–प्रतिदिन के आधार पर विचारण कराते हुए निष्पादन कराने का निदेश दिया गया।

II. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्व के बैठक में महत्वपूर्ण वादों को चिन्हित कर त्वरित विचारण कराये जाने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। अनुपालन हेतु पुनः निदेश दिया गया एवं साथ ही, अभियुक्तों को सजा दिलाने एवं 60 दिनों के अन्दर आरोप–पत्र समर्पित कराकर मामले को शीघ्रातिशीघ्र निष्पादित करने हेतु भी निदेशित किया गया।

III. SC/ST Act से संबंधित वादों के गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराये जाने हेतु गवाही से पूर्व संबंधित पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध किये जाने का निदेश दिया गया।

10.03.17

IV. पूर्व बैठक में निदेश दिया गया था कि वर्ष 2016 का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन शुद्ध कर समर्पित करेंगे। बाबजूद इसके सिर्फ विशेष लोक अभियोजक, मधुबनी, भोजपुर, जमुई, भागलपुर, कटिहार, गोपालगंज, सारण, हाजीपुर एवं सिवान द्वारा हीं वर्ष 2016 का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। अन्य जिलों से वर्ष 2016 का वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर सहायक निदेशक (स्था0) द्वारा खेद व्यक्त करते हुए पुनः एक पक्ष के अंदर त्रुटि निराकरण करते हुए शुद्ध प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशित किया गया।

V. बैठक में उपस्थित विशेष लोक अभियोजकों को माह जनवरी, 2017 से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में मासिक प्रतिवेदन निदेशाालय में ई–मेल/फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

4. **श्री राजीव कुमार, अवर सचिव –सह– अवर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना** द्वारा बैठक में उपस्थित विशेष लोक अभियोजकों को जानकारी दी गई कि यात्रा भत्ता एवं मानदेय के भुगतान हेतु राशि की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा, एवं प्राथमिकता के आधार सभी लंबित विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5. **श्री संजय कुमार, कल्याण पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना** द्वारा बताया गया कि निदेशालय स्तर से पत्र प्राप्त होने पर SC/ST Act से संबंधित गवाहों का खर्च गवाही के दिन ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था चालू करने हेतु यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों के संबंध में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों के समीक्षोपरांत स्थिति निम्नवत् प्रतिविंबित होती है–

(i) वर्ष 2016 में जिस माह का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसकी सूची

क्रमांक	जिला का नाम	माह जिसमें प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
1	2	3
1	पटना	जुलाई
2	भोजपुर (आरा)	नवम्बर
3	रोहतास (सासाराम)	जुलाई, अगस्त, नवम्बर एवं दिसम्बर
4	बक्सर	अगस्त
5	जहानाबाद	दिसम्बर
6	औरंगाबाद	जुलाई
7	खगड़िया	अप्रैल एवं नवम्बर
8	मुजफ्फरपुर	अप्रैल से अबतक
9	बेतिया	अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर
10	मोतिहारी	अप्रैल से जुलाई
11	दरभंगा	नवम्बर एवं दिसम्बर
12	मधुबनी	दिसम्बर
13	सहरसा	नवम्बर एवं दिसम्बर
14	किशनगंज	प्रतिवेदन अप्राप्त एवं अनुपस्थित
15	पूर्णियॉ	जनवरी से मार्च एवं मई
16	बांका	प्रतिवेदन अप्राप्त एवं अनुपस्थित

(ii) वैसे जिला, जहाँ सजा की संख्या अधिक है।

क्रमांक	जिला का नाम	अभियुक्त की संख्या	सजा की संख्या
1	**बेगुसराय**	**42**	**19**
2	**औरंगाबाद**	**39**	**11**
3	**गया**	**23**	**8**
4	**भागलपुर**	**16**	**9**
5	**मधेपुरा**	**15**	**4**
6	**नवादा**	**11**	**3**

10-03-17

7	सीतामढ़ी	11	2
8	बिहारशरीफ	10	5
9	गोपालगंज	7	2
10	शेखपुरा	7	2
11	समस्तीपुर	7	2
12	सारण (छपरा)	7	1

(iii) वैसे जिला जहॉ सजा की संख्या शून्य है।

क्रमांक	जिला का नाम	सजा की संख्या
1	मधुबनी	0
2	रोहतास (सासाराम)	0
3	पटना	0
4	बक्सर	0
5	मोतीहारी	0
6	सहरसा	0
7	सुपौल	0
8	पूर्णियॉ	0
9	दरभंगा	0

(iv) वैसे जिला, जहॉ रिहाई की संख्या अधिक है।

क्रमांक	जिला का नाम	रिहाई की संख्या
1	गया	247
2	बेगुसराय	175
3	भागलपुर	120
4	औरंगाबाद	86
5	समस्तीपुर	81
6	अररिया	78
7	गोपालगंज	73
8	जमुई	66
9	बेतिया	66
10	मधुबनी	62
11	कटिहार	62

नोटः– 1. कार्य योजना बनाकर गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है।
2. किशनगंज एवं बाँका द्वारा माह जनवरी, 2016 से अबतक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, तथा बैठक में लगातार अनुपस्थित रहें हैं।

(07) <u>पटना जिला</u>– पटना जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 198, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 110, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 596 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 56 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 42, सजा की संख्या शून्य है एवं रिहाई की संख्या 38 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, पटना द्वारा वर्ष 2016 में फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या से सजा एवं रिहाई की संख्या का सही मिलान नहीं हो पा रहा है साथ ही, वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में गत बैठक में विशेष लोक अभियोजक, पटना को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(08) <u>नालन्दा जिला</u>– नालन्दा जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 50, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 03, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या

10.03.17

194 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 90 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 52, सजा की संख्या 05 है एवं रिहाई की संख्या 49 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, नालन्दा द्वारा वर्ष 2016 में फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या से सजा एवं रिहाई की संख्या का सही मिलान नहीं हो पा रहा है साथ ही, वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत ज़मानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में गत बैठक में विशेष लोक अभियोजक, नालन्दा को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(09) **आरा जिला–** आरा जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 78, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 12, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 303 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 27 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 27, सजा की संख्या 02 है एवं रिहाई की संख्या 25 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(10) **रोहतास जिला–** रोहतास जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 23, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 99, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 360 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 345 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 58, सजा की संख्या शून्य है एवं रिहाई की संख्या 58 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, रोहतास द्वारा वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, रोहतास को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(11) **कैमूर जिला–** कैमूर जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 30, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 20, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 281 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 118 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 56, सजा की संख्या 02 है एवं रिहाई की संख्या 54 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया हैं। विशेष लोक अभियोजक, कैमूर द्वारा माह वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में गत बैठक में विशेष लोक अभियोजक, कैमूर को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(12) **बक्सर जिला–** बक्सर जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 296, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 03, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 296 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 35 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 37, सजा की संख्या शून्य है एवं रिहाई की संख्या 37 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के

10.03.17

साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, बक्सर द्वारा माह वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, बक्सर को त्रुटि निराकरण कर पुनः जनवरी से अक्टूबर तक का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(13) **गया जिला–** गया जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 311, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 06, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 320 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 75 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 277, सजा की संख्या 08 है एवं रिहाई की संख्या 247 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, गया द्वारा वर्ष 2016 में फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या से सजा एवं रिहाई की संख्या का सही मिलान नहीं हो पा रहा है। साथ ही, माह वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, गया को त्रुटि निराकरण कर पुनः जनवरी से अक्टूबर तक का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(14) **जहानाबाद जिला–** जहानाबाद जिला में समीक्षा के क्रम में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 05, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 04, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 167 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 22 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 29, सजा की संख्या 02 है एवं रिहाई की संख्या 27 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(15) **नवादा जिला–** नवादा जिला में समीक्षा के क्रम में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 90, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 70, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 245 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 15 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 17, सजा की संख्या 03 है एवं रिहाई की संख्या 14 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(16) **औरंगाबाद जिला–** औरंगाबाद जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 12, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 02, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 398 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 100 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 96, सजा की संख्या 11 है एवं रिहाई की संख्या 86 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, औरंगाबाद द्वारा वर्ष 2016 में फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या से सजा एवं रिहाई की संख्या का सही मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में गत बैठक में विशेष लोक अभियोजक, औरंगाबाद को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

10.03.17

(17) **सारण (छपरा) जिला–** सारण (छपरा) जिला में समीक्षा के क्रम में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 25, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 13, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 438 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 208 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 56, सजा की संख्या 01 है एवं रिहाई की संख्या 55 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(18) **सिवान जिला–** सिवान जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 49, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 29, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 384 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 122 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 42, सजा की संख्या 01 है एवं रिहाई की संख्या 41 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, सिवान द्वारा वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, सिवान को त्रुटि निराकरण कर पुनः जनवरी से अक्टूबर तक का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

(19) **गोपालगंज जिला–** गोपालगंज जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 38, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 32, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 469 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 04 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 75, सजा की संख्या 02 है एवं रिहाई की संख्या 73 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(20) **मुंगेर जिला–** मुंगेर जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 10, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 09, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 140 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 111 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 24, सजा की संख्या 01 है एवं रिहाई की संख्या 23 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, मुंगेर द्वारा वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, मुंगेर को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(21) **खगड़िया जिला–** खगड़िया जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 13, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 15, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 182 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 109 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 37, सजा की संख्या 01 है एवं रिहाई की संख्या 30 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, खगड़िया द्वारा वर्ष 2016 में फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या से सजा एवं रिहाई की संख्या का सही मिलान नहीं हो पा रहा है। साथ ही, वर्ष 2016 में कुल

10.03.17

जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, खगड़िया को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया।

(22) **जमुई जिला**– जमुई जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 12, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 05, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 181 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 54 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 64, सजा की संख्या 02 है एवं रिहाई की संख्या 66 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है।

(23) **बेगूसराय जिला**– बेगूसराय जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 25, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 07, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 533 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 133 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 198, सजा की संख्या 19 है एवं रिहाई की संख्या 175 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, बेगूसराय द्वारा वर्ष 2016 में फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या से सजा एवं रिहाई की संख्या का सही मिलान नहीं हो पा रहा है। साथ ही, कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, बेगूसराय को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(24) **लखीसराय जिला**– लखीसराय जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 50, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 22, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 72 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 20 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 03, सजा की संख्या 01 है एवं रिहाई की संख्या 03 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। साथ ही, विशेष लोक अभियोजक, लखीसराय को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(25) **शेखपुरा जिला**– शेखपुरा जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 16, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या शून्य, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 95 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 52 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 19, सजा की संख्या 02 है एवं रिहाई की संख्या 17 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, शेखपुरा द्वारा वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, शेखपुरा को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

10.03.17

(26) **मुजफ्फरपुर जिला–** विशेष लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर द्वारा जनवरी से मार्च, 2016 तक का ही प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 235, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 06, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 326, एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 26 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 39 सजा की संख्या 01 है एवं रिहाई मामलों की संख्या 38 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में विशेष लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर से कारण पृच्छा उपलब्ध कराने का तथा त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(27) **सीतामढ़ी जिला–** सीतामढ़ी जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 03, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 11, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 126 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 54 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 25, सजा की संख्या 02 है एवं रिहाई की संख्या 23 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, सीतामढ़ी द्वारा वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, सीतामढ़ी को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(28) **बेतिया (पश्चिम चम्पारण) जिला–** बेतिया (पश्चिम चम्पारण) जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 56, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 22, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 335 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 158 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 80, सजा की संख्या 03 है एवं रिहाई की संख्या 66 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) द्वारा वर्ष 2016 में फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या से सजा एवं रिहाई की संख्या का सही मिलान नहीं हो पा रहा है। साथ ही, कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(29) **पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) जिला–** पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 116, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 66, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 325 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 108 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 36, सजा की संख्या शून्य है एवं रिहाई की संख्या 36 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) द्वारा वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, पूर्वी चम्पारण

10.03.17

(मोतीहारी) को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(30) **शिवहर जिला–** शिवहर जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 24, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या शून्य, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 32 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 18 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 30, सजा की संख्या 01 है एवं रिहाई की संख्या 29 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, शिवहर द्वारा वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में गत बैठक में विशेष लोक अभियोजक, शिवहर को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(31) **वैशाली जिला–** वैशाली जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 43, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 33, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 382 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 369 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 42, सजा की संख्या 02 है एवं रिहाई की संख्या 38 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(32) **दरभंगा जिला–** दरभंगा जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 20, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 15, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 222 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 43 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 21, सजा की संख्या शून्य है एवं रिहाई की संख्या 21 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, दरभंगा द्वारा वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में गत बैठक में विशेष लोक अभियोजक, दरभंगा को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(33) **समस्तीपुर जिला–** समस्तीपुर जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 340, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 64, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 440 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 170 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 83, सजा की संख्या 02 है एवं रिहाई की संख्या 81 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(34) **मधुबनी जिला–** मधुबनी जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 21, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 17, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 240 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 317 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 62, सजा की संख्या शून्य है एवं रिहाई की संख्या 62 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक

10-03-17

को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(35) **सहरसा जिला**– सहरसा जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 07, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 05, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 158 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 30 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 30, सजा की संख्या शून्य है एवं रिहाई की संख्या 30 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, सहरसा द्वारा वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, सहरसा को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 तक का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(36) **सुपौल जिला**– सुपौल जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 05, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 01, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 107 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 35 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 28, सजा की संख्या शून्य है एवं रिहाई की संख्या 28 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, सुपौल द्वारा वर्ष 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, सुपौल को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(37) **मधेपुरा जिला**– मधेपुरा जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या शून्य, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या शून्य, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 104 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 08 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 15, सजा की संख्या 04 है एवं रिहाई की संख्या 11 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(38) **अररिया**– अररिया जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 20, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 25, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 235 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 164 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 78, सजा की संख्या 02 है एवं रिहाई की संख्या 76 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। साथ ही, वर्ष, 2016 में कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, अररिया को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

10.03.17

(39) **पूर्णियॉ–** पूर्णियाँ जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 24, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 25, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 291 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 39 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 24, सजा की संख्या शून्य है एवं रिहाई की संख्या 23 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक, पूर्णियाँ द्वारा वर्ष 2016 में फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या से सजा एवं रिहाई की संख्या का सही मिलान नहीं हो पा रहा है। साथ ही, कुल जमानत आवेदन की संख्या से स्वीकृत जमानत आवेदन की संख्या एवं अस्वीकृत जमानत की संख्या का मिलान नहीं हो पा रहा है इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक, पूर्णियाँ को त्रुटि निराकरण कर पुनः वर्ष 2016 का माहवार प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

(40) **किशनगंज–** किशनगंज जिला से वर्ष 2016 में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही, किशनगंज के विशेष लोक अभियोजक समीक्षा बैठक में लगातार अनुपस्थित रहे हैं। इस सदर्भ में निदेशक महोदय द्वारा विधि विभाग को विशेष लोक अभियोजन को हटाये जाने हेतु पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(41) **कटिहार जिला–** कटिहार जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 16, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 04, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 156 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 51 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 63, सजा की संख्या 01 है एवं रिहाई की संख्या 62 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(42) **भागलपुर–** भागलपुर जिला में अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित मामलों की संख्या 262, आरोप गठन हेतु लंबित मामलों की संख्या 34, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों की संख्या 585 एवं बहस हेतु लंबित मामलों की संख्या 459 है। फैसला सुनाये गये मामलों की संख्या 129, सजा की संख्या 09 है एवं रिहाई की संख्या 120 है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक को साक्षियों की ससमय उपस्थिति हेतु न्यायालय के माध्यम से सम्मन/वारंट निर्गत कराने के साथ हीं साथ अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(43) **बांका जिला–** बांका जिला से वर्ष 2016 में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही, बांका के विशेष लोक अभियोजक समीक्षा बैठक में लगातार अनुपस्थित रहे हैं। इस सदर्भ में निदेशक महोदय द्वारा विधि विभाग को विशेष लोक अभियोजन को हटाये जाने हेतु पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

10.03.17

सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

10.03.17

ज्ञापांक अ0नि0(12)–02 / 2014 / अभियोजन..201.... /   दिनांक..10-03-17 /
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

10/3/17
सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक अ0नि0(12)–02 / 2014 / अभियोजन..201.... /   दिनांक..10-03-17.. /
प्रतिलिपिः– सचिव, विधि विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

10/3/17
सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक अ0नि0(12)–02 / 2014 / अभियोजन..201..... /   दिनांक..10-03-17 /
प्रतिलिपिः– सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

10/3/17
सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक अ0नि0(12)–02 / 2014 / अभियोजन..201..... /   दिनांक..10-03-17... /
प्रतिलिपिः– आई0जी0, कमजोर वर्ग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/17
सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक अ0नि0(12)–02 / 2014 / अभियोजन..201.... /   दिनांक..10-03-17.. /
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/17
सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक अ0नि0(12)–02 / 2014 / अभियोजन..201..... /   दिनांक..10-03-17. /
प्रतिलिपिः– सभी जिला अभियोजन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/17
सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

03.17

ज्ञापांक अ0नि0(12)–02 / 2014 / अभियोजन..201..... /   दिनांक.10-03-17. /

प्रतिलिपिः– सभी विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक अ0नि0(12)–02 / 2014 / अभियोजन..201..... /   दिनांक.10-03-17. /

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक अ0नि0(12)–02 / 2014 / अभियोजन..201..... /   दिनांक.10-03-17. /

प्रतिलिपिः– सभी पदाधिकारी / कर्मचारी, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

10.03.17.